राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 165

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 23 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

पेरिस समझौते के मुताबिक विकासशील देशों को मिलना चाहिए पैसा : जावडेकर >> 3

सरोकार

डेढ़ लाख बच्चों को जूते पहना चुका यह आइएएस अधिकारी

जयपुर : नंगे पैर स्कूल जाते वंचित परिवारों के बच्चों को जूते मुहैया कराने में

जुटे राजस्थान के आइएएस अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी चंदा जुटाकर 'चरण पादुका अभियान' चला रहे हैं। पांच साल में डेढ़ लाख बच्चों को इस अभियान का लाभ मिल चुका है। (पेज-10)

जागरण विशेष

एलओसी के 30 किमी अंदर 'घुस' जहर उगल रहा पाक

राजौरी : पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए अपने एफएम चैनलों को

नया हथियार बना लिया है। चैनलों की रेंज बढ़ाकर उसने सीमावर्ती भारतीय आबादी को जद में ले लिया है और जी भरकर जहर उगल रहा है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

शीत सत्र ▶ पृष्ठ 3

रेलवे का निजीकरण नहीं, कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। यात्रियों को सहूलियत देने के लिए कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग हो रही है। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में यह बात कही। एक अनुमान के अनुसार रेलवे को अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर सीबीआइ छापा

नई दिल्ली : सीबीआइ ने मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआइआर दर्ज करने के बाद उनके आइजल, इंफाल व गुरुग्राम स्थित नौ ठिकानों पर छापे मारे। छापे में घोटाले से संबंधित दस्तावेजों के साथ 36.49 लाख रुपये के प्रतिबंधित नोट और 15.47 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

तेजी से पूरी होगी डीएचएफएल की दिवालिया प्रक्रिया

नई दिल्ली : दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनी (एनबीएफसी) दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने तीन सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। दो दिन पहले ही कंपनी के निदेशक बोर्ड को निरस्त कर दिया गया था।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ओआरओबी पर भारत की चिंताएं वाजिब : अमेरिका

वाशिंगटन : चीन की वन बेल्ट वन रोड (ओआरओबी) परियोजना पर भारत की चिंताओं का अमेरिका ने समर्थन किया है। अमेरिकी उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा, 'भारत परियोजना के भू-राजनीतिक तत्वों का पता चलने के बाद से इसका विरोध कर रहा है। हम उसकी चिंता से सहमत हैं कि किसी आर्थिक परियोजना की कीमत संप्रभुता नहीं हो सकती है।'

पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अब भविष्य में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (एसपीजी) की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में संसद के चालू सत्र में अगले हफ्ते एसपीजी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पहले ही इन संशोधनों को हरी झंडी दी जा चुकी है। फिलहाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है।

गौरतलब है कि दो हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 1991 से मिल रही एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। इसकी जगह उन्हें केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। कांग्रेस लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है।

शुक्रवार को संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया कि एसपीजी कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक अगले हफ्ते सदन की कार्यवाही की सूची में शामिल किया गया है। इसमें किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा देने के प्रावधान को हटा दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एसपीजी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के एक साल बाद तक या फिर खतरे के आकलन के आधार पर एसपीजी सुरक्षा देने के प्रावधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

कानून में होगा संशोधन

- 1991 से स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की सुरक्षा में थे सोनिया, राहुल व प्रियंका गांधी
- खतरे के आकलन के बाद आठ नवंबर को एसपीजी हटाने का लिया गया फैसला

कम हुआ है गांधी परिवार पर खतरा

एसपीजी कानून में संशोधन का फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने के तत्काल बाद आया है। उस समय सरकार की ओर से साफ किया गया था कि पिछले महीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर खतरे का सालाना आकलन किया गया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि इन तीनों पर खतरे की आशंका अपेक्षाकृत कम हुई है और उनकी सुरक्षा एसपीजी के बजाय किसी दूसरी एजेंसी को दी जा सकती है। इसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने इन तीनों को एसपीजी की जगह सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया।

सोनिया राहुल प्रियंका

1988 में की गई थी एसपीजी की व्यवस्था

1984 में सुरक्षा गार्ड के हाथों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (एसपीजी) नाम से अलग बल का गठन किया था। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान राजीव की हत्या के बाद 1991 में एसपीजी कानून में संशोधन कर पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ राजीव गांधी के परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी।

1999 में हुआ था बड़ा संशोधन

1994 में छोटे संशोधनों के बाद एसपीजी कानून में बड़ा संशोधन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ। इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा पद छोड़ने के बाद एक साल तक के लिए सीमित कर दी गई। इसके बाद हर साल खतरे के आकलन के आधार पर एसपीजी सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया गया। समय-समय पर खतरे के आकलन के आधार पर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा जैसे पूर्व पीएम की एसपीजी सुरक्षा वापस ली जाती रही। 2014 में पीएम पद से हटने के बाद पांच साल तक मनमोहन सिंह को एसपीजी सुरक्षा मिलती रही, लेकिन खतरे के आकलन के बाद अगस्त में उन्हें सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी गई।

उद्धव के नाम पर कांग्रेस-राकांपा राजी

सत्ता का खेल ▶ तीनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक में बनी सहमति

राकांपा प्रमुख शरद पवार की घोषणा पर टिप्पणी करने से बचे शिवसेना अध्यक्ष

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के संकेत अब स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस और राकांपा नई सरकार के मुखिया के तौर पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नाम पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना को मिलाकर बने नए गठबंधन 'महाविकास आघाड़ी' के शीर्ष नेताओं की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने यह घोषणा की।

विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल द्वारा बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों की संख्या हासिल नहीं कर पाने के कारण महाराष्ट्र में 12 नवंबर को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना नया गठबंधन बनाकर सरकार गठन की तैयारियों में लगे थे। कई चक्र चली बातचीत के बाद शुक्रवार को मुंबई के नेहरू सेंटर में कांग्रेस, राकांपा व शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद 'महाविकास आघाड़ी' की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। बैठक के बाद राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने बताया कि सरकार का नेतृत्व शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के हाथ में रहने पर सहमति बन गई है। अन्य सभी मुद्दों पर तीनों दलों के बीच चर्चा जारी है। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने नाम पर बनी सहमति पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि शनिवार को पत्रकारों के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जाएंगे। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्गज नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे भी शामिल रहे।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शुक्रवार को मुंबई स्थित नेहरू सेंटर में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

विस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस-राकांपा में खींचतान

सूत्रों के अनुसार, राकांपा और कांग्रेस दोनों को सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा गठबंधन सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस-राकांपा में अभी भी खींचतान जारी है। माना जा रहा है कि तीनों दलों के राज्यस्तरीय नेताओं की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों की संख्या और मंत्रालयों के बंटवारे पर शनिवार को फैसला हो जाएगा। उसके बाद ही महाविकास आघाड़ी राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करने जाएगा।

पांच साल रहेगा शिवसेना का ही मुख्यमंत्री : शुक्रवार को दिन में शिवसेना और कांग्रेस विधायकों की अलग-अलग बैठकें हो चुकी थीं। तीनों दलों की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री कौन और कितनी अवधि के लिए होगा, इस पर पेच था, लेकिन तीनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री पूरे पांच साल शिवसेना का ही होगा। अब देखना यह है कि उद्धव स्वयं यह पद संभालते हैं या अपने पिता व शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे की परंपरा को निभाते हुए अपने दल के किसी और नेता को बैठाते हैं। (पेज-4 भी देखें)

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया मौकापरस्ती वाला गठबंधन

एक ओर जहां राकांपा अध्यक्ष शरद पवार स्थिर सरकार देने का वादा कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता इसे मौकापरस्ती वाला गठबंधन बताकर सरकार के टिकाऊ नहीं होने की बात कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना के बीच वैचारिक मतभेद हैं। उनका गठबंधन विचारों और सिद्धांतों की बुनियाद पर नहीं बना है। यह सिर्फ मौकापरस्ती है। इसलिए यह सरकार टिकाऊ नहीं हो सकती।

विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली थीं सबसे ज्यादा सीटें

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव दो गठबंधनों के बीच हुआ था। एक गठबंधन के मुख्य दल भाजपा-शिवसेना थे तो दूसरे के कांग्रेस-राकांपा। चुनाव में भाजपा को 105, शिवसेना को 56, राकांपा को 54, कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुईं। शिवसेना द्वारा ढाई साल के लिए सीएम पद की मांग के कारण भाजपा से उसकी दोस्ती टूट गई। शिवसेना नेता पहले से ही दावा करते रहे हैं कि वह अपना मुख्यमंत्री बनाकर शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे के सपनों को पूरा करेंगे। अब कांग्रेस-राकांपा के सहयोग से उसका दावा सच साबित होता दिख रहा है।

आधार कानून में संशोधन पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ने आधार कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन संशोधनों के माध्यम से निजी कंपनियों को उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध कराए गए आधार डाटा के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने आधार संशोधन कानून, 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एसजी वोंबटकेरे और बेजवाड़ा विल्सन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। न्यायालय ने इस जनहित याचिका को इस मामले में पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 का संशोधन शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों का उल्लंघन है। इससे पहले पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आधार कानून की वैधता बरकरार रखते हुए कुछ आपत्तियां जताई थीं। कोर्ट ने कहा था कि निजी कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति से भी उनकी जानकारी के प्रमाणीकरण के लिए आधार डाटा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद में, केंद्र ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन हासिल करने के लिए उपभोक्ताओं को पहचान पत्र के रूप में स्वेच्छा से आधार का प्रयोग करने की अनुमति देते हुए कानून में संशोधन किया था। राज्यसभा ने जुलाई महीने में ध्वनिमत से आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था। हालांकि, विपक्ष ने डाटा चोरी होने की आशंका सहित कई कारणों का उल्लेख करते हुए विधेयक का विरोध किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को चार जुलाई को पारित किया था।

इस संशोधित विधेयक में आधार डाटा पर प्रावधानों का निजी कंपनियों द्वारा उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून में टेलीग्राफ कानून, 1885 और मनी लांड्रिंग कानून, 2002 के तहत स्वैच्छिक आधार पर केवाईसी के प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चों को 18 साल की उम्र होने पर बायोमीट्रिक आइडी कार्यक्रम से निकलने का विकल्प भी दिया गया है।

- आधार संशोधन कानून, 2019 की वैधानिकता को कोर्ट में दी गई है चुनौती
- निजी कंपनियों को आधार डाटा के इस्तेमाल की अनुमति का मामला

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

लातेहार में नक्सलियों का बड़ा हमला एएसआइ और तीन होमगार्ड शहीद

जेएनएन, लातेहार

झारखंड के लातेहार जिले में नक्सलियों व पुलिस के बीच गोलीबारी में पुलिस के एक एएसआइ और तीन होमगार्ड शहीद हो गए। डीजीपी कमल नयन चौबे ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार चुनाव के वक्त लोगों की आवाजाही को देखते हुए विशेष पेट्रोलिंग की जा रही थी। रास्ता साफ कराने के लिए होमगार्ड के जवानों को लगाया गया था। इसी बीच टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। नक्सलियों की खोज में ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस की हाइवे पेट्रोलिंग वन की टीम आम दिनों की तरह लातेहार-रांची रोड पर पेट्रोलिंग कर रही थी। लुकुइया गांव के समीप नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ा, लेकिन तब तक सुरक्षाकर्मियों की गोली लगने से मृत्यु हो चुकी थी। घटना के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

बाल-बाल बचे भाजपा के प्रदेश मंत्री : अत्याधुनिक हथियारों से लैस नक्सलवादियों के इस हमले में भाजपा के प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू बाल-बाल बच गए। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेदिनीनगर से राजधानी रांची लौट रहे थे। चंदवा से जैसे ही आगे बढ़े, वहां रात करीब साढ़े आठ बजे के आसपास पुलिस व नक्सलियों के बीच गोलीबारी चल रही थी। उन्होंने किसी तरह गाड़ी पीछे कर लोहरदगा की तरफ भागने में सफलता पाई।

- मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मी

नक्सलियों की फायरिंग से क्षतिग्रस्त पुलिस टीम का वाहन। जागरण

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पास पहुंची स्नाइपर राइफल

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों के पास स्नाइपर राइफल पहुंचने का मामला सामने आया है। ड्रोन से सुरक्षा बलों के कैंपों की निगरानी के बाद स्नाइपर राइफल के नक्सलियों के पास पहुंचने और उसके चलाने के प्रशिक्षण की बात सामने आने से सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ी है।

सुरक्षा बलों को और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। (पेज-6)

डे-नाइट टेस्ट में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन

अभिषेक त्रिपाठी, कोलकाता

भारत में पहली बार गुलाबी गेंद से हो रहे ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया हर विभाग में छाई रही और उसने पहले दिन ही बांग्लादेशी टीम को 30.3 ओवर में 106 रनों पर ऑलआउट करने के बाद तीन विकेट खोकर 174 रन बना लिए हैं। इसके आधार पर मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 68 रनों की बढ़त बना ली है।

इंदौर में सीरीज का पहला मुकाबला पारी और 130 रनों से जीतने वाली टीम इंडिया अगर इस मैच को भी जीत लेती है तो वह दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लेगी। यही नहीं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उसके 360 अंक हो जाएंगे और वह उसमें भी अपने नंबर वन के स्थान को और मजबूत कर लेगी। इस मैच की बात करें तो भारत के तेज गेंदबाजों खासतौर पर इशांत शर्मा का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने 12 ओवर में 22 रन देकर पांच विकेट लिए। वहीं, बल्लेबाजी करते समय भारतीय कप्तान विराट कोहली (नाबाद 59) और चेतेश्वर पुजारा (55) ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। (पेज-14 देखें)

ऐतिहासिक मैच

- बांग्लादेश 106 रन पर ढेर, इशांत ने झटके पांच विकेट
- पुजारा-कोहली के अर्धशतक, भारत का स्कोर 3/174

12 साल में पहली बार इशांत शर्मा ने घर में पांच विकेट लिए हैं। इशांत ने ओवरऑल 10वीं बार पारी में पांच विकेट लिए

विराट सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान

अर्धशतक बनाने के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते कोहली। एपी

कोलकाता : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने 54 टेस्ट मैच की 97 पारियों में बतौर कप्तान 5000 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने बतौर कप्तान 53वें टेस्ट की 86वीं पारी में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस मामले में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड (106 पारी) हैं। इस उपलब्धि को अपने नाम करने के लिए भारतीय कप्तान को शुक्रवार को 32 रन की दरकार थी। बतौर कप्तान 5000 टेस्ट रन बनाने वाले विराट कोहली अब एकमात्र भारतीय ही नहीं, बल्कि पहले एशियाई कप्तान भी हैं। अगर विराट इस टेस्ट में अपना सैकड़ा भी पूरा कर लेते हैं तो वह एक और रिकॉर्ड को रिकी पोंटिंग से छीनकर अपने नाम कर लेंगे। बतौर कप्तान विराट का यह 20वां शतक होगा। फिलहाल पोंटिंग और विराट 19-19 शतकों के साथ इस मामले में बराबरी पर हैं।

जैसे-तैसे पूरा किया गया कोरम

दोनों सदनों को मिलाकर मौजूदा 781 सदस्यों में केवल 58 रहे मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी की सलाह और हिदायतें भी नहीं कर रहीं काम

सांसद हैं कि नसीहतों के बाद भी संसद में बैठते ही नहीं

संजय मिश्र, नई दिल्ली

संसद में जनता की मुखर आवाज बनने की दुहाई देने वाले सांसद हैं कि सदन में बैठते ही नहीं। मुद्दों पर चर्चा-बहस में शामिल होना तो दूर माननीय तो संसद में अपने लिए तय समय के दौरान भी सदन में मौजूद रहने की जहमत नहीं उठाते। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को सांसदों के निजी विधायी कार्य के लिए तय समय के दौरान दोनों सदनों के मौजूदा कुल 781 सदस्यों में महज 58 सदस्य ही सदन में उपस्थित थे।

लोकसभा में तो माननीयों की गैरमौजूदगी का आलम यह था कि शुक्रवार को निजी विधायी कामकाज के दौरान सदन में कोरम तक पूरा नहीं हुआ। लोकसभा में इस दौरान मौजूदा कुल 543 में से करीब 25 सदस्य मौजूद थे। जबकि नियमानुसार कार्यवाही चलाने के लिए सदन में कम से कम 10 फीसद सदस्यों यानी कम से कम 54 सांसदों की उपस्थिति जरूरी है। इस लिहाज से सदन में सदस्यों की कम संख्या पर कोई एक सदस्य भी सवाल उठाता तो कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही

नियमों के हिसाब से स्थगित हो जाती। हालांकि दोनों सदनों से नदारद रहने पर दो दिन पहले केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगाई गई फटकार का असर जरूर दिखा। मंत्री तय रोस्टर के हिसाब से मौजूद थे, सांसद गायब थे।

कई सांसद तो अपने सूचीबद्ध विधेयक को पेश करने तक के लिए मौजूद नहीं थे। दिलचस्प बात यह थी कि लोकसभा में वोटिंग को अनिवार्य बनाने के भाजपा के राजनीतिक एजेंडे से जुड़े निजी विधेयक पर चर्चा हो रही थी। मगर सदन में भाजपा के 303 सदस्यों में से बमुश्किल डेढ़ दर्जन सदस्य ही उपस्थित थे। संसद सत्र की अवधि बढ़ाने की दुहाई देने वाले माननीयों के बैठक से गायब रहने की यह स्थिति तब है जब पीएम मोदी हर सत्र में कई मौकों पर अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने की नसीहत देते रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हर सत्र में सरकार की घेरेबंदी के लिए अपने सांसदों की सदन में मौजूदगी पर जोर देती रही हैं। मगर माननीय हैं कि अपने-अपने नेतृत्व की नसीहतों की भी परवाह नहीं करते।

राज्यसभा में सदस्यों के निजी विधायी कार्य की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में कोरम भी नहीं था। उपसभापति हरिवंश को कुछ मिनटों तक कोरम की घंटी बजवानी पड़ी और बड़ी बमुश्किल से कोरम पूरा हुआ। तब इस दौरान राज्यसभा के मौजूदा 238 में से 33 सांसद सदन में भाजपा सरकार और पीएम मोदी के दिल के सबसे करीब के एजेंडे स्वच्छता से जुड़े मसले को कानूनी जामा पहनाने की जरूरत पर भाजपा के वरिष्ठ सांसद प्रभात झा के पेश निजी विधेयक पर चर्चा चल रही थी। राज्यसभा में अभी सात सीटें रिक्त हैं जबकि लोकसभा के केवल दो नामित सदस्यों की सीट खाली है। दोनों सदनों में कुल 790 में से वर्तमान में 781 सदस्य हैं।

प्रभात झा ने इस विधेयक के जरिये स्वच्छता को नागरिकों का बुनियादी कर्तव्य बनाने की मांग की है। विपक्षी सांसदों की गैरमौजूदगी को दरकिनार भी कर दिया जाए तो पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन को जनांदोलन बनाने में भाजपा सांसदों की अनुपस्थिति शोचनीय रही। वैसे राजद सदस्य मनोज झा ने सदन में सदस्यों की बेहद कम संख्या में मौजूदगी की चर्चा कर उपसभापति से इसका संज्ञान लेने की बात जरूर कही। संसद सत्र के दौरान हर हफ्ते शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे से दोनों सदनों में सांसदों के निजी विधायी कार्य का समय तय है और सांसद इसमें अपने निजी प्रस्तावों के जरिये देश या जनहित में नए कानून बनाने से लेकर संविधान में संशोधन की मांग कर सकते हैं। सांसदों के कई निजी विधेयकों पर विगत में सरकारों ने कानून भी बनाया है मगर संसदीय व्यवस्था में अपने सबसे अहम अधिकार को लेकर सांसदों का यह रुख उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करता है।

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में घिरे दो पीसीएस अधिकारी बर्खास्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दो पीसीएस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनमें से एक अशोक कुमार शुक्ला हैं जो अभी राजस्व परिषद में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के पद पर तैनात थे। शुक्ला को हरदोई जिले में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान ग्राम समाज की जमीन भूमिधरी के रूप में दर्ज कराने और अमेठी में एसडीएम रहते सरकार के खिलाफ फेसबुक पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के मामले में बर्खास्त किया गया है। दूसरे पीसीएस अफसर अशोक कुमार लाल हैं, जिन्हें 2015 में नोएडा में गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के दौरान सीबीआइ ने 44 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। वह तब से निलंबित थे। दोनों अफसरों को उप्र लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद बर्खास्त किया गया है।

अमेठी में एसडीएम के रूप में तैनात रहते हुए पांच फरवरी 2018 को अशोक शुक्ला ने अपनी फेसबुक आइडी पर सरकार की कार्यशैली पर प्रतिकूल टिप्पणी की। यह टिप्पणी मुख्यमंत्री को संबोधित थी। जिलाधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट में बताया कि शुक्ला की फेसबुक पोस्ट गलत तथ्यों पर आधारित थी। उनका यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने से शासन प्रशासन की छवि धूमिल हुई। दोनों ही मामलों में शुक्ला के खिलाफ अनुशासनिक जांच हुई। बरेली जिले में तैनाती के वक्त शुक्ला वह उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी के दिन उनके सिटी स्टेशन रोड स्थित मकान में सजावट कराई थी।

- भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी में नपे राजस्व परिषद के ओएसडी अशोक शुक्ला
- गेल में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के दौरान घूस लेते धरे गए थे अशोक कुमार लाल